



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया(छ0ग0)

New District Court Chinddand, Baikunthpur, Koriya
Phone No. 07836-299019 E-mail - dlsa.koria@gmail.com

// विविध आदेश //

क्रमांक:- 50/जि.वि.से.प्रा./2025

बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/05/2025

एतद् द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का ईमेल पत्र क्रमांक/F.N.L-27/2022-NALSA (part File) 4678-4714 dated 27 March.2024 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत तथा नालसा से प्राप्त पत्र क्र०- F.N.L-27/2022-NALSA/415 dated 16 April.2025 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के लिए अतिरिक्त रूप से डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल का 02 पद एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के 02 पद हेतु, नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक/1402/LADCS-23-05/2024 Bilaspur dated 19-05-2025 के द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं बिन्दु क्रमांक 01 में उल्लेखित मापदण्डों के अनुरूप चयनित स्टाफ के द्वारा अनुबंध दिनांक 15.05.2025 से दिनांक 14.05.2026 तक अवधि के लिये, पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति की जाती है :-

डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल की चयन सूची

क्र.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम
01	श्री कृष्ण बिहारी नामदेव	श्री शंकरलाल नामदेव
02	श्रीमती किरण सोनी	पति सुनील कुमार सोनी

असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की चयन सूची

क्र.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम
01	श्री रोहित बड़ेरिया	श्री प्रकाशचन्द्र बड़ेरिया
02	कुमारी वैशाली	स्व० श्री रूपनारायण

शर्त :-

- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल का 02 पर एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के 02 पद हेतु, स्टाफ की पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल/कार्यवधि नालसा के दिशा-निर्देश के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान में एक वर्ष की लिये अर्थात् द्वारा अनुबंध दिनांक 15.05.2025 से दिनांक 14.05.2026 तक की अवधि के लिये नियुक्त किया जाना है।
- छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 7490/एल.ए.डी.सी. एस.-23-05/2024 बिलासपुर दिनांक 11.11.2024 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय

कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ0ग0) का वर्ष 2021 का अनुमानित नगरीय जनसंख्या 28431 होने के कारण क्लास – सी इस जिले के लिये लागू होगी। विवरण निम्नानुसार है:-

नालसा द्वारा निर्धारित		
S.No.	Particulars	Honorarium
1	Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel	Rs. 40000/-
2	Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel	Rs. 40000/-
3	Assistant Legal Aid Defense Counsel	Rs. 25000/-
4	Assistant Legal Aid Defense Counsel	Rs. 25000/-

03. यदि कोई स्टाफ पदभार ग्रहण नहीं करता है या पदभार ग्रहण करने के पश्चात् अपने पद से त्याग पत्रा दे देता है, तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वरीयता सूची के अनुसार, उक्त पदों हेतु पृथक-पृथक तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में से वरीयता के आधार पर इस प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को प्रेषित किया जावेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन पश्चात् उक्त स्टाफ की नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही इस प्राधिकरण के द्वारा की जावेगी।

04. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त पदों हेतु, वरीयता के आधार पर तैयार की गई चयन सूची व प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन उपरांत, उक्त प्रतीक्षा सूची को दिनांक 14.05.2026 तक प्रभावशील मानी जावेगी।

05. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल/20/2019 – नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक एल/20/2019 नालसा दिनांक 11.02.2023 एवं पत्र क्रमांक/एफ.एन.एल./20/2019- नालसा दिनांक 14.02.2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य संपादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने हैं तथा आपराधिक/राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

06. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।

07. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/एफ.नं./एल-27/2022-नालसा (पार्ट-फाइल)/4678-4714 दिनांक 27 मार्च 2024 के द्वारा जारी

दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी, वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।

(मो० रिजवान खान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)

पृ.क्र./ 659 / जिविसेप्रा / 2025 /

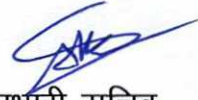
बैकुण्ठपुर, दिनांक- 22.05.2025

प्रतिलिपि :-

- ✓ 01. मान. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्री कृष्ण बिहारी नामदेव पिता श्री शंकरलाल नामदेव, महलपारा, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)।
03. श्रीमती किरण सोनी पति सुनील कुमार सोनी, पटना, जिला-कोरिया (छ०ग०)।
04. श्री रोहित बडेरिया पिता श्री प्रकाशचंद्र बडेरिया, स्कूलपारा, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ०ग०)।
05. कुमारी वैशाली पिता स्व० श्री रूपनारायण, केतका रोड़ सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ०ग०)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया चयनित स्टाफ को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी दिनांक के एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से मूल दस्तावेज सहित पदभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रतीक्षा सूची में अंकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु आहूत किया जा सकेगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)


प्रभारी सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)